भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR RESEARCH ON GOATS मखदूम, फरह—281 122, मथुरा उत्तर प्रदेश Makhdoom, Farah-281122, Mathura (U.P)

भारत में किसी स्थान / गृह नगर के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने का इरादा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पेशगी स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र ———————

Application for the grant of advance to Govt. Servant intending to avail of Leave Travel Concession for any place in India/Home Town_____

1.	पूरा नाम (साफ अक्षरो में) / Name (in block letters)			
2.	पदनाम एवं संबद्ध अनुभाग का नाम / Designation & Section to			
	which attached			
3.	मूलवेतन / Basic Pay :			
4.	केन्द्रीय सरकार/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सेवा में प्रथम नियुक्ति			
	तिथि / Date of first appointment in Central Govt./ICAR Services.			
5.	क्या सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार से परिवीक्षा अवधि पर है ? यदि हां,			
	तो ब्योरा दें/ Whether the Govt. Servant is on probation from			
	State Govt., If so, state the details.			
6.	स्वीकृत छुट्टी की प्रकृति एवं अवधि/Nature and period of leave sanctioned.			
7.	भ्रमण स्थान / Place to be visited			
8.	निकटतम रेल स्टेशन / Nearest Railway Station			
9.	गृह नगर (निरपवाद रूप से बताया जाए) Home Town (to be indicated invariably)			
10.	क्या यात्रा रियायत का पहले लाभ उठाया गया है, यदि हां तो बताएं :-			
	Whether Travel Concession has been availed before, if so, किस ब्लाक वर्ष के लिए वर्तमान पेशगी का दावा किया जा रहा है / The			
11.				
	block year for which the present advance is claimed.	٠.	3	
12.	क्या यात्रा परिवार के साथ की जाएगी; यदि हां तो यात्रा एवं परिवार के सदस्		` `	
	सहित अनंतिम तिथि) Whether journey is to be performed with family,			and family members
	(Relationship & respective age including the tentative date of departure & Arrival.			T .
	नाम / Name		उम्र(वर्ष) / Age (Yr)	सम्बंध / Relationship
i				
ii				
iii				
iv				
V				
13.	यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वयं एवं परिवार सहित बहिर्याता अलग से करनी	हो,		
	तो कारण एवं सटीक तिथि/तिथियां बताए कि किस दिन बाहरी यात्रा प्रारंभ			
	जाएंगी।/If the outward journey is to be performed separately by	the		
	family and the Govt. Servant himself, state the reasons and the ex			
	date/s on which outward journeys by each are to be commence			
14.	अपेक्षित पेशगी की रकम (ऐसी पेशगी की राशि प्रत्येक मामले में अनुमानित	राशि		
	की 9/10वीं तक सीमित होगी जिसकी सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी)			
	The amount of advance required (the amount of such advance in e			
	case will be limited to 9/10 of the estimated amount which G	ovt.		
15.	would have to (reimburse). वास्तविक रेल श्रेणी की सुविधा जिसमें आवेदक तथा उसके परिवार के स	<i>ਟ</i> ਹੁਸ		
LIJ.	ા નાજાાનન જલ ઝુના તમ ચાત્રાના મુખ્ય ભાવત પ્રાપ્ત પ્રાપ્ત માજાર છે. આ	५१प		

	यात्रा करना चाहते हैं / The actual railway class of accommodation in which journey are to be performed by the applicant and his/her family members.
6.	क्या स्थायी हैं या अस्थायी / यदि अस्थायी हो तो जमानती का पदनाम Whether
	permanent or Temporary. If Temporary, state name and designation of the Surety.
	आवेदक का हस्ताक्षर / Signature of the applicant
	पदनाम / Designation
	अनुभाग, टेलीफोन सं0 / Telephone No
	तारीख / Date
	मेरी सर्वाधिक जानकारी के अनुसार मैं,एतदद्वारा प्रमाणित करता हूं कि (क)
τ 7	मेरी सर्वाधिक जानकारी के अनुसार मैं,एतदद्वारा प्रमाणित करता हूं कि (क) उपरोक्त तथ्य वास्तविक एवं सही है तथा (ख) बिहर्यात्रा पेशगी स्वीकृति की तिथि से 60 दिन के भीतर की जाएगी ऐसा न करने पर वेशगी की रकम तुरन्त वापस कर दी जाएगी (ग) मैं स्वयं एवं मेरे परिवार के सदस्य उपरोक्त बताये गए श्रेणी की सुविधा में यात्रा करेंगे तथा किसी भी स्थिति में निम्नतर श्रेणी से नहीं तथा (घ) मैं छुट्टी से वापस आते ही तुरंत वापसी यात्रा की समाप्ति की तिथि से एक मास के भीतर रसीद सिहत समायोजन बिल प्रस्तुत करूंगा।
<u>8</u> 8	I, hereby certify that (a) the facts stated above are true and correct to the best of my knowledge, (b) the outward journey will be performed within 60 days of grant of advance <u>failing which</u> advance will be refunded immediately, (c) the family members and myself will travel in the class of accommodation as stated above and not in lower class under any circumstances and (d) I will submit the adjustment LTC Bill together with money receipt immediately after my return from leave and not later than one month from the date of completion of return journey.
	मैं पेशगी लेने के दस दिन के भीतर रेलवे/बस टिकट रोकड—। अनुभाग में इस तथ्य के समर्थन में प्रस्तुत करूंगा कि मैंने वास्तव में टेकट खरीदा है।
] f	I shall produce railway/bus tickets within ten days of the drawl of advance to Cash-I Section in support the fact that I have actually utilized the amount for the purchase of tickets.
	प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पिता / माता / अभिभावक पूर्ण रूप से मेरे ऊपर आश्रित हैं और मेरे साथ रह रहे हैं तथा उनकी मासिक आय रू0 1500 / — से कम है।
	Certified that my father/mother/parent is/are wholly dependent on me, and is/are residing with me and his/their monthly income is less than Rs. 1500/
	आवेदक के हस्ताक्षर./Signature of the Applicant
	पदनाम/Designation
7	तारीख / Date महत्वपूर्ण : यदि पेशगी जाने एवं वापस आने दोनों यात्राओं के लिए ली गयी थी तथा बाद में यह पता चले कि मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि नब्बे दिनों की तीन माह की अवधि से अधिक होने की संभावना है तो छुट्टी यात्रा रियायत पेशगी की आधी धनराशि तुरंत
	सरकार को लौटानी होगी।
t	Important : Whether an advance has been drawn for both the forward and return journey and later it becomes clear that the period of absence from Headquarter is likely to exceed three months of ninety days, one half of the LTC advance should be refunded to Government forthwith.
	दृष्टव्यः यह सुविधा गृहनगर रियायत के बदले दो वर्ष के एक ब्लॉक के लिए दी जाती है।

No Bus Fare is admissible if the journey have not been undertaken by state owned buses/state Tourism buses. The original bus tickets are produced with the claim, compulsorily.

दावा के साथ मूल बस टिकट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

This concession is in liew of Home Town concession for one block of two years.
यदि यात्रा राज्य स्वामित्व वाली बसों / राज्य पर्यटन वसों द्वारा यात्रा न की गई हो तो किसी दूसरे बस का किराया स्वीकार्य नहीं होगा।